केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि

3/यो0-36/2018
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...............................

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में उज्जवला गृह योजना के लिए प्रथम अनुपूरक अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 167.69 लाख रू0 (एक करोड सरसठ लाख उनहत्तर हजार) तथा राज्यांश मद में 83.90 लाख रू0 (तिरासी लाख नब्बे हजार) अर्थात कुल 251.59 लाख रू0 (दो करोड इक्यावन लाख उनसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 15 दिनांक 12.06.2018 द्वारा राज्य के 38 जिलों में उज्जवला गृह योजना के संचालन के निमित बिहार के 10 जिलों में संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी/व्यापार, यौन शोषण, यौन पणन की शिकार महिलाओं को वेश्यालयों से मुक्त करा कर गृह में आवासित कर सामाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। वितीय वर्ष 2018-19 में उज्जवला गृह योजना अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 167.69 लाख रू0 (एक करोड सरसठ लाख उनहत्तर हजार) तथा राज्यांश मद में 83.90 लाख रू0 (तिरासी लाख नब्बे हजार) अर्थात कुल 251.59 लाख रू0 (दो करोड इक्यावन लाख उनसठ हजार रू0) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि रू. लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश की राशि				
1	उज्जवला गृह योजना	(51-2235021030227)	0227.3106	167.69
	योग:-1 (एक करोड सरसठ लाख उनहत्तर हजार)			167.69

-2-

राज्यांश की राशि				
2	उज्जवला गृह योजना	(51-2235021030327)	0327.3106	83.90
	योग:-2 (तेरासी लाख नब्बे हजार)			83.90
	कुल (योग 1+2) :- (रू. दो करोड इक्यावन लाख उनसठ हजार)			251.59

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-32/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 19/टि0 पर दिनांक 20.08.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-32/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ट संख्या 18/टि0 पर दिनांक 13.08.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. इस योजना का संचालन महिला विकास निगम के माध्यम से एवं सीधे उनके पर्यवेक्षण/नियंत्रण में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-36/2018 /....................../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-36/2018 /......22........../दिनांक-24/08/2018

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/8

संयुक्त निदेशक (मु0)